



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082026-275423
CG-MH-E-13082026-275423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4272]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4272]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20E के तहत

का.आ. 4450(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 10 एप्रिल 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1846 (अ) तारीख 09 एप्रिल 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "पाचोरा - जामनेर नैरो गेज से ब्रॉड गेज और मलकापुर तक विस्तार के साथ (84.34 Kms)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) (यूटीपीएच) जलगांव, जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक पुण्य नगरी" और दैनिक सकाळ में तारीख 05-06-2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 1 गाँव का विशेष रेल परियोजना "पाचोरा - जामनेर नैरो गेज से ब्रॉड गेज और मलकापुर तक विस्तार के साथ (84.34 Kms)" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रस्ताव क्र.	गावाचे नाव	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का जमीनधारकाचे नाव	गट नंबर	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	09/26	जलचक्र खुर्द	बोदवड	अजीज जिलानी मुलतानी, हबीबाबी जिलानी मुलतानी सामाईक क्षेत्र	28/2	1	1.040	0.22
2				विलास लक्ष्मण पाटील	32/2	1	1.510	0.02
3				बेबाबाई मांगो पाटील	58/3	1	1.180	0.0009
4				रामदास लक्ष्मण सुरवाडे, दराबाई लक्ष्मण सुरवाडे, मंडाबाई बाबुराव सुरवाडे, दादाराव बाबुराव सुरवाडे, बाजीराव बाबुराव सुरवाडे	62/पै/1 62/पै/2	2	2.93	0.44
						कुल	6.66 (हे.आर.)	0.6809 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/PC-JMNR/Jalchakra Khurd Vlg/Bodwad Tq/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th August, 2026

Under clause 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4450(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 1846 (E) dated 09th April 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated 10th April 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the

purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Pachora – Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Kms)”** in the district of **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO(1)UTPH.Jalgaon daily Marathi newspapers namely **“Dainik Punyanagari”** & **“Dainik Sakaal”** Dated 05-06-2026 respectively under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Pachora – Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Kms)” for 1 village in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.

SR. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village Name	Taluka	Land Owner's name according to 7/12 Extract	Survey No./ Gatt No.	Land Holding Method	Area According to 7/12 Extract (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	09/26	Jalchakra Khurd	Bodwad	Aziz Jilani Multani, Habibabi Jilani Multani Common Area	28/2	I	1.040	0.22
2				Vilas Laxman Patil	32/2	I	1.510	0.02
3				Bebabai Mango Patil	58/3	I	1.180	0.0009
4				Ramdas Laxman Surwade, Darabai Laxman Surwade, Mandabai Baburao Surwade, Dadarao Baburao Surwade, Bajirao Baburao Surwade	62/Out of/1 62/Out of/2	II	2.93	0.44
					Total		6.66 (Ha.)	0.6809 (Ha.)

[F. No. G197/PC-JMNR/Jalchakra Khurd Vlg/Bodwad Tq/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)